राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांकः—प.163 / मु.स.प्र. / आ.आवं / लाटरी / 2010—12 / 2991 दिनांकः— 22-3-12

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत आवेदकों की वरियता एवं आवास आवंटन कम्प्यूटर की रेण्डम प्रणाली द्वारा करने से पूर्व आवेदकों की अस्थाई एवं स्थाई सूचियाँ उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियंता कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ही चिपकायी जाती हैं जिसके कारण पंजीकृत आवेदकों को अपनी स्थिति जानने के लिए मण्डल कार्यालयों में फोन करने, अन्य साधनों से सम्पर्क करने एवं कार्यालयों में व्यक्तिशः आने से कार्य में व्यवधान की स्थिति पैदा होती है। अतः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में लॉटरी से पूर्व प्रकाशित की जाने वाली अस्थाई एवं स्थाई सूचियों का प्रकाशन सम्बन्धित कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ—साथ आवश्यक रूप से मण्डल की वेब साईट पर भी कराया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति को गम्भीरता से लिया जावेगा।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा.आ.म., जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पीएण्डएम / तकनीकी सहयक, आवासन आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... रा.आ.म. ....
6. आवासीय अभियंता खण्ड .... रा.आ.म. ....
7. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। कृपया mail करके से वेब साईट पर डाले।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक